प्रेस नोट दिनांक 10.04.2025
थाना कोतवाली जनपद बरेली

थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा साजिश के तहत झूठी एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराने वाली महिला का किया गया पर्दाफाश

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 29.03.2025 को थाना कोतवाली जनपद बरेली पर एक महिला जिसका नाम सोनू उर्फ शमोली कौशिक पत्नी अनिल कौशिक निवासी वीर सावरकर नगर रोड थाना इज्जतनगर बरेली के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पीडित महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उपरोक्त महिला द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 139/2025 धारा 140(1)/70(1)/309(4)/109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर पुलिस टीम गठित कर घटना का सफल अनावरण हेतु विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज चैक की गयी तथा घटनास्थल की फोटो ली गयी जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हुई उपरोक्त घटनाक्रम की जांच बारीकी से की गयी तो पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट में पीडिता को आयी चोट को चिकित्सको द्वारा फायर इन्जरी को संदिग्ध बताया गया एंव पीडिता ने अपने बयान में गोली लगने की घटना से इन्कार किया गया तथा उपरोक्त महिला के बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये, जिनमें पीडिता द्वारा गोली लगने की घटना से इंकार किया गया तथा उपरोक्त घटना पूर्णतः फर्जी पायी गयी। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि उपरोक्त महिला द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2022 में भी मु0अ0सं0 537/2022 धारा 328/376 डी भा.द.वि बनाम अज्ञात 03 व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा पूरी तहतीकात की गयी तो वर्ष 2022 की घटना भी उपरोक्त महिला द्वारा फर्जी दर्ज कराना पायी गयी। तथा इसके वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 182/211 भा.द.वि की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी थी। वर्ष 2022 का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अग्रिम तिथि 25.04.2025 है। उक्त महिला को अंदेशा था की उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त महिला द्वारा अपने बचाव में एक नई साजिश रचकर जिला अस्पताल के वार्ड ब्वाय रोहताश से मिलकर अपने शरीर में गोली प्लान्ट करने की योजना बनायी गयी तथा रोहताश उपरोक्त द्वारा 01 बुलेट व दो खोखा कारतूस उपलब्ध कराये गोली को शरीर में कैसे प्लान्ट करना है उसका तरीका बताया गया उपरोक्त महिला दो - तीन चिकित्सकों से मिली जिन्होंने गोली प्लान्ट करने से इंकार कर दिया गया किन्तु चिकित्सक डा0 शराफत खां द्वारा 2500 रुपये लेकर उक्त महिला के शरीर को सुन्न करके शरीर में गोली प्लान्ट कर दी गयी जिसका फायदा उक्त महिला द्वारा उठाकर दिनांक 29.03.2025 को 05 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा गैंगरेप करने व गोली मार देने की सूचना देकर अभियोग दर्ज कराना पाया गया। उक्त महिला के अलावा इस षणयन्त्र और घटनाक्रम में इसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी मदद करना पायी गयी है जिनकी तलाश की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त शरीर में प्लान्ट हुई एक बुलेट 32 बोर
2. एक खोखा कारतूस 32 बोर
3. उक्त महिला के कपडे
4. घटनास्थल से प्राप्त एक जोडी चप्पल

पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक अमित पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद बरेली
2. एस.ओ.जी प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह धामा मय टीम
3. व0उ0नि0 श्री सुरेशचन्द्र थाना कोतवाली जनपद बरेली